संख्याः 121/2025/847/35-1-2025-7-372/ज0नि0प्र0/2025

प्रेषक,

एस0 पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025

विषयः "जीरो पावर्टी- उत्तर प्रदेश" अभियान।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में अध्यासित समस्त निर्धनतम परिवारों को भोजन, वस्त्र, उत्कृष्ट शिक्षा, चिकित्सा तथा आवास की सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। निर्धनता एक बहुआयामी (multi-dimensional) परिस्थिति होने के दृष्टिगत निर्धनतम परिवारों की सतत् आय की व्यवस्था का सृजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा इसके समुचित निराकरण के लिए समस्त संभव उपायों/विकल्पों पर कार्य किया जाना है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम 10 से 25 परिवारों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुये केंद्र/प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण (Convergence)कर चयनित/उपयुक्त लाभार्थियों को सुविधा पहुँचाना है।

2- उल्लेखनीय है कि जीरो पॉवर्टी, उ0प्र0 अभियान के संचालन के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से दिनांक 01अगस्त, 2024, 02 अक्टूबर, 2024 एवं 03 अप्रैल, 2025 को शासनादेश निर्गत किये गये हैं। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के त्वरित संचालन हेतु यह आवश्यक है कि निर्धनतम परिवारों के जीवनयापन के विभिन्न आयामों पर उनकी स्पष्ट पहचान हेतु उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के साथ-साथ बहुआयामी बेंचमार्क मापन (multi-dimensional measurable benchmark)सूची आधारित त्रुटिरहित डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाना होगा। इस सम्बन्ध में फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना के डिजिटल डेटाबेस से लाभार्थियों की सूची प्राप्त की जा सकती है, जो जीरो पॉवर्टी अभियान से शासन के सभी संबंधित विभागों को त्वरित निर्णय लेने में सर्वोत्तम उपयोगी सिद्ध होगी। वर्तमान में जीरो पॉवर्टी, उ0प्र0 अभियान के सफल संचालन हेतु प्रदेश में राज्य स्तरीय शासी निकाय(**Governing Body)** एवं संचालन समिति(**Steering Committee)** का गठन निम्नानुसार किया जा रहा है-

A- राज्य स्तरीय शासी निकाय (Governing Body)-

क्र0सं0	पदनाम और विभाग	शासी निकाय की संरचना
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
12.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	सदस्य
13.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम	सदस्य
14.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि	सदस्य
15.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स	सदस्य
16.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
17.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0	सदस्य
18.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य सचिव

1. जीरो पॉवर्टी अभियान के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने हेतु संस्तुति उपलब्ध कराना।
2. केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की नीतियों, प्रमुख कार्यक्रमों(Flagship Programmes) एवं जीरो पॉवर्टी अभियान में चयनित परिवारों की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
3. राज्य स्तर पर विभागीय अभिसरण(Departmental Convergence) करने के साथ Best Practices को सम्मिलित करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।
4. जीरो पॉवर्टी के क्रियान्वयन से संबंधित अंतर्विभागीय समस्याओं का समय-समय पर समाधान सुनिश्चित कराने के साथ ही प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के विस्तार की सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

B- संचालन समिति(Steering Committee)-

क्र0सं0	**पदनाम और विभाग**	**संचालन समिति की संरचना**
1	प्रमुख सचिव, नियोजन	अध्यक्ष
2	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सदस्य
3	आयुक्त, खाद्य एवं रसद	सदस्य
4	महानिदेशक, स्कूल शिक्षा	सदस्य
5	निदेशक, पंचायती राज	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
7	निदेशक, महिला कल्याण	सदस्य
8	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण	सदस्य
9	निदेशक, श्रम एवं सेवायोजन	सदस्य
10	निदेशक, यू.पी.एस.आर.एल.एम.	सदस्य
11	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एस.ए.सी.एच.आई.एस.	सदस्य
12	निदेशक, आई.सी.डी.एस.	सदस्य
13	प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.डी.एम.	सदस्य
14	प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशन	सदस्य
15	प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को	सदस्य
16	सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.	सदस्य
17	निदेशक, कृषि	सदस्य
18	प्रमुख, एस.ई.एम.टी.	सदस्य
19	राज्य प्रमुख, पी.सी.आई.	सदस्य
20	कार्यक्रम प्रमुख, समग्र	सदस्य
21	निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग	सदस्य सचिव

1. जीरो पॉवर्टी अभियान के सफल संचालन हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर उद्देशयों के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करना।
2. जीरो पॉवर्टी अभियान के अंतर्गत Project Planning, Monitoring एवं Feedback Integration करना।
3. प्रदेश में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं में जीरो पॉवर्टी अभियान में vulnerability के आँकलन के आधार पर चयनित परिवारों की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
4. योजनाओं से आच्छादित परिवारों को जीरो पॉवर्टी अभियान के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों/सुविधाओं को डुप्लीकेसी से बचाने, अभिसरण(Convergence) को सुदृढ़ करने तथा प्रदान की जा रहीं सुविधाओं में आ रही कठिनाइयों को दूर करना।
5. राज्य स्तरीय मार्गदर्शन के लिए शासी निकाय(Governing Body) को प्रगति एवं नीतिगत कमियों से अवगत कराना।

जीरो पॉवर्टी अभियान का त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी एक वर्ष में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत से फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना के डिजिटल डेटाबेस पर उपलब्ध विभिन्न इंडीकेटर्स के आधार पर पात्रता (vulnerability) का आँकलन करते हुए चयनित निर्धनतम परिवारों को गरीबी से बाहर/ऊपरलाये जाने तथा उनका स्थायी विकास बनाये रखने के लिए इस अभियान के तहत पूरी प्रतिबद्धता एवं समयबद्धता के साथ कार्य किया जाए।

भवदीय,

(एस0 पी0 गोयल)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 121/2025/847/35-1-2025-7-372/ज0नि0प्र0/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, SACHIS, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पंचायती राज, समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम एवं सेवायोजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं कृषि, उत्तर प्रदेश।
5. मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM), उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM), ग्रामीण जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डेस्को0 (UPDESCO), उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW)
8. हेड, एस0ई0एम0टी0।
9. सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर एवं कंट्री लीड वूमेन लाइवलीहुड, Gates Foundation (BMGF), नई दिल्ली।
10. कंट्री डायरेक्टर एवं स्टेट हेड, पी0सी0आई0 इण्डिया।
11. प्रोग्राम लीड, समग्र।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।